न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **04/24 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2024/16

1. श्री हरिप्रकाश पिता जयराम जी जाति रेगर उम्र–वयस्क निवासी मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

............प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती केसरबाई पुत्री चेना जी जाति रेगर उम्र–वयस्क निवासी–मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती घीसीबाई पुत्री तोलीराम जी जाति जाति रेगर उम्र–वयस्क निवासी–मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री जगदीशचन्द्र पिता तोलीराम जी जाति रेगर उम्र–वयस्क निवासी–मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्री डूंगाराम पिता गंगाराम जी जाति रेगर उम्र–वयस्क निवासी–मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री पपुलाल पिता चेना जी जाति रेगर उम्र–वयस्क निवासी–मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज.)

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 05.08.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर में कृषि भूमि स्थित है, जिसके खाता सख्या–1010 नया 1010 पुराना के आराजी नम्बर–2714 रकबा 0.0728 हेक्टेयर है उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है। जिस पर मै प्रार्थी एवं परिवारजन काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है। मुझ प्रार्थी के खातेदारी के आराजी नम्बर– 2714 पर आने व जा[illegible] आराजी नम्बर–2715 में 30 फीट चौडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:48 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता दक्षिण दिशा से होकर अपने कृषि यंत्र एवं औजार ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादी लाने–ले जाने के लिये उपयोग–उपभोग मै प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन करते चले आ रहे है। परन्तु आराजी नम्बर–2715 के खातेदार अर्थात विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होने से विपक्षीगण मुझ प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजीयात में से आने–जाने नही दे रहे है एवं कठिनाईयां उत्पन्न कर रहे है, जिससे मै प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन अपनी आराजीयात की कृषि भूमि में उपयोग–उपभोग करने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है एवं कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग करने में मै प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन असहज महसूस कर रहे है।

2. यह कि आराजी नम्बर–2715 में 30 फीट चौडा रास्ता दक्षिण दिशा से रास्ता कायम हो जाने से प्रार्थी एवं मेरे परिवारजनो को मेरे खेतो का उपयोग–उपभोग करने में कठिनाईयां उत्पन्न नही होगी, अपनी कृषि यंत्र, औजार, ट्रेक्टर, बैलगाडी इत्यादी ले जा सकेगें। तथा उक्त रास्ते के अलावा मेरे पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा मुझ प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने के लिये यही एक सस्ता एवं निकटतम रास्ता मौजुद है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मेरी आराजीयात पर आने–जाने एवं कृषि यंत्र आदि लाने–ले जाने हेतु नही है, जिससे होकर प्रार्थी एवं परिवारजन अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। मुझ प्रार्थी को मेरे खेत में जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नम्बर–2715 में होकर आने–जाने के लिये प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है, विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग करने के सम्बन्ध में आनाकानी की जाती है एवं मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य उक्त रास्ते को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है।

3. यह कि मुझ प्रार्थी के खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात पर आने–जाने एवं अपने कृषि यंत्र लाने–ले जाने हेतु आराजी नम्बर–2715 में होकर जाता है जो राजस्व रिकार्ड में विपक्षीगणो के नाम दर्ज है, तथा मुझ प्रार्थी को मेरी आराजीयात में आने–जाने एवं कृषि यंत्र लाने–ले जाने के लिये उक्त रास्ते नकल जमाबन्दी एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। जिस कारण मुझ प्रार्थी को अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग करने में असहज महसुस करता हूं, भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिये प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शे में ए.बी.सी.डी द्वारा दर्शित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन होना आवश्यक है। मुझ प्रार्थी को मेरी खातेदारी जमीन का उपयोग उपभोग करने के लिये ट्रेक्टर व वाहन आदि ले जाने के लिये राजस्व रिकार्ड में रास्ता होना आवश्यक एवं न्यायोचित् है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से मुझ प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है, जिस पर राजस्व रिकार्ड में भी उक्त रास्ते का अंकन करवाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:48 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि प्रार्थना–पत्र कारण दिनांक–10.01.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगणो द्वारा हमें हमारी खातेदारी आराजीयात पर आने–जाने एवं कृषि यंत्र लाने–ले जाने नही दिये है जिससे प्रार्थना–पत्र कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है।
5. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला–उदयपुर में स्थित मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर– 2714 में आने–जाने हेतु आराजी नम्बर–2715 में 30 फीट रास्ता दक्षिण दिशा में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 स्वयं एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली के अनुसार प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 2714 में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2715 में से 30 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2715 में से 0.0634 हेक्टेयर भूमि एनएच 162ई में अवाप्त होने से वर्तमान में अप्रार्थीगण के नवीन आराजी नम्बर 5565/2715 रकबा 0.0985 हेक्टेयर में से प्रार्थी को रास्ता प्रास्तावित किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता है। प्रार्थी की भूमि पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता में जाने वाली भूमि का रकबा आराजी नम्बर 5565/2715 रकबा 0.0985 हेक्टेयर किस्म चा.उत्तम में से 0.081 हेक्टेयर है जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित किया गया है। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट के साथ भू अभिलेख निरीक्षक मावली की रिपोर्ट एवं तहसील राजस्व लेखाकार की गणना रिपोर्ट संलग्न की गई। तहसील राजस्व लेखाकार की गणना रिपोर्ट अनुसार ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की आराजी संख्या 5565/2715 रकबा 0.0985 हैक्टेयर में से 0.0081 हैक्टेयर की डीएलसी 7804000 /– रूपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 81 वर्गमीटर के 63213 रूपये बनते है तथा डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि 126426 /– रूपये बनती है। अतः जमा योग्य राशि 126426 रूपये है।
7. अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि पर आने–जाने के लिए कोई रास्ता नही है। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में इकरार किया गया है कि उक्त भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:48 IST
Reason: SelfAttested

जाने के लिए रास्ता नही है। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जावे, जिससे वादी अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग कर सके।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 1010 पर दर्ज आराजी नम्बर 2714 रकबा 0.0728 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सार्वजनिक रास्ते एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 2714 के मध्य विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी नम्बर 5565/2715 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी नम्बर 5565/2715 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते का रकबा 0.0081 हैक्टेयर भूमि बनती है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप—6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज—6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड [illegible]) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:48 IST
Reason: SelfAttested

सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार डीएलसी 7804000 /– रूपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 81 वर्गमीटर के 63213 रूपये बनते है तथा डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि 126426 /– रूपये बनती है। उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 से 5 को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की आराजी नम्बर 5565/2715 रकबा 0.0985 हैक्टेयर भूमि में से 0.0081 हैक्टेयर अर्थात् कुल रास्ते में प्रयुक्त होने वाली 81 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत का दुगुना 1,26,426/– रूपयें अक्षरे एक लाख छबीस हजार चार सौ छबीस रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:48 IST
Reason: SelfAttested